आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Mission Vatsalya (Child Protection Services), implemented through State Child Protection Societies and District Child Protection Units

Mission Vatsalya

मिशन वात्सल्य के तहत ज़रूरतमंद बच्चे को हर महीने स्पॉन्सरशिप राशि मिल सकती है, ताकि बच्चा बाल गृह में जाने के बजाय अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ाई जारी रख सके।

क्या मिल सकता है

हर बच्चे को हर महीने Rs 4,000, जो बच्चे के नाम पर खुले बैंक या डाकघर खाते में आते हैं। यह खाता अभिभावक चलाते हैं, बेहतर है कि माँ चलाए। यह पैसा बच्चे की पढ़ाई, खाने और सेहत के काम आता है। राज्य अपनी ओर से और राशि जोड़ सकते हैं।

किसके लिए है

माता-पिता या रिश्तेदारों के साथ रहने वाले ज़रूरतमंद बच्चे, जैसे अनाथ बच्चे, विधवा या छोड़ी गई माँ के बच्चे और देखभाल व संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चे।

मुख्य शर्तें

- बच्चे की माँ विधवा, तलाकशुदा या परिवार द्वारा छोड़ी गई हो, या बच्चा अनाथ हो और रिश्तेदारों के साथ रहता हो।
- जिन बच्चों के माता-पिता जानलेवा या लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, या जो आर्थिक और शारीरिक रूप से बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, वे बच्चे भी शामिल हैं।
- किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चे (जैसे बाल मज़दूर, बाल विवाह या तस्करी के शिकार, दिव्यांग बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे) और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के बच्चे भी शामिल किए जा सकते हैं।
- निवारक स्पॉन्सरशिप के लिए परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में Rs 72,000 और अन्य क्षेत्रों में Rs 96,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
- सहायता 18 साल की उम्र तक चल सकती है। अगर स्कूल जाने वाला बच्चा 30 दिन से ज़्यादा स्कूल से गैरहाज़िर रहे तो इसकी समीक्षा होती है और इसे रोका जा सकता है, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को छोड़कर।

आवेदन कैसे करें

1. अपने ज़िले की ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) से संपर्क करें। DCPU के कर्मचारी ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड समिति के साथ मिलकर भी ऐसे परिवारों की पहचान करते हैं।
2. जो बच्चा अभी बाल गृह में है, उसके लिए DCPU या बच्चे का परिवार मिशन वात्सल्य पोर्टल पर स्पॉन्सरशिप का अनुरोध अपलोड कर सकता है।
3. स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति हर तिमाही के पहले हफ्ते में बैठक करके अनुरोध देखती है और योग्य बच्चों की सिफारिश ज़िला मजिस्ट्रेट को करती है।
4. ज़िला मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी के बाद DCPO बच्चे के नाम पर खाता खोलता है और हर महीने राशि जमा होती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/vatsalyaguideline.pdf
आधिकारिक PDF: https://missionvatsalya.wcd.gov.in/public/pdf/children-related-law/vatsalyaguideline.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/mission-vatsalya-sponsorship/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।